न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

अपील संख्याः 25/2023 GCMS No.—2016/00200

रूकमणी पुत्री रामसहाय पत्नि श्री नन्दलाल शर्मा निवासी ग्राम अचलपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1. शान्ति देवी पत्नि रामस्वरूप पुत्री हरिनारायण जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी निवाई, जिला टोंक, राज0।
2. पप्पू देवी पत्नि रमेश शर्मा पुत्री हरिनारायण जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम दनाउ खुर्द तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
3. जानकी देवी पत्नि राकेश पुत्री हरिनारायण जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम पट्टी किशोरपुरा तहसील लालसोट, जिला दौसा।
4. ममता देवी पत्नि दिनेश पुत्री हरिनारायण जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम खानपुरा, तहसील व जिला दौसा।
5. गैन्दी देवी पत्नि हरिनारायण जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम कल्याणपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर।
6. कमला पुत्री छीतरमल पत्नि प्रहलाद जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम माधोपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
7. रामकरण पुत्र रामदयाल जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम कल्याणपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
8. तहसीलदार बस्सी, जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 1902 दिनांक 21.12.2004

उपस्थितः–

1. श्री राजेश कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री बनवारी शर्मा अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 6 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 08.06.2026

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार बस्सी के निर्णय 21.12.2004 जिससे नामान्तरकरण संख्या 1902 वाके ग्राम बस्सी रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के पिता, रेस्पा0 संख्या 5 के पति, रेस्पाडेन्ट संख्या 6 के पिता, रेस्पाडेन्ट संख्या 7 के नाम स्वीकार किया गया जिससे असंतुष्ट होकर अपील दिनांक 06.02.2013 को न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। रेस्पाडेन्ट संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता श्री बनवारी शर्मा उपस्थित आये। रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 5 एवं रेस्पाडेन्ट संख्या 7 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। रेस्पाडेन्ट संख्या 8 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तकरण प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया। वकील उभय पक्ष की अपील पर बहस सुनी गयी। वकील रेस्पाडेन्ट द्वारा लिखित बहस, न्यायिक दृष्टान्त, दस्तावेज पेश किये गये जो शामिल मिसल रहे।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट की पैतृक अपीलाधीन कृषि भूमि वाके ग्राम बस्सी तहसील बस्सी के पूर्व रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार अपीलांट के पितामह भौरीलाल पुत्र चुन्नीलाल थे। उपरोक्त भूमि के हाल बन्दोबस्त में नये खसरा नंबर 1826, 1827 कुल किता 2 कुल रकबा 1.37 हैक्टेयर कायम किये गये। अपीलांट के पितामह भौरीलाल की मृत्यु के पश्चात उसकी विरासत का नामान्तकरण रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 के पिता व पति हरिनारायण व रेस्पाडेन्ट संख्या 6 के पिता छीतर एवं रेस्पाडेन्ट संख्या 7 ने गुपचुप में गलत तथ्य पेश कर राजस्व अभियान कैम्प बस्सी में दिनांक 21.12.2004 को नामान्तकरण भरवाकर तथा उसी दिन भू0अ0निरीक्षक की तुलना कराकर तहसीलदार बस्सी से तस्दीक करा लिया जिसकी कोई जानकारी अपीलांट को नहीं नहीं दी गयी एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व भौरीलाल जी के वारिसो की जांच नहीं की गयी जबकि अपीलांट जो कि भौरीलाल जी की जायन्दा पौत्री व रामसहाय की जायन्दा पुत्री है। अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलांट को कोई सूचना नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपीलांट भौरीलाल जी की वारिस है एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत प्रथम श्रेणी की वारिस एवं उत्तराधिकारी होने से अपीलांट का आराजी जैर अपील में 1/3 हिस्सा दर हिस्सा 1/2 है। अपीलांट के पिता रामसहाय व रामदयाल ने भौरीलाल की विरासत का इन्द्राज राजस्व अभिलेखो में नहीं कराया गया तथा दोनो की मृत्यु हो गयी। परन्तु रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 5 के पिता व पति तथा रेस्पा0 संख्या 6 के पिता ने अपीलांट जायज वारिस को धोखे में रखकर गुपचुप तरीके से अपने नाम खातेदारी का नामान्तकरण तस्दीक करा लिया जो पूर्णतया अवैध एवं प्रारम्भ से ही शून्य एवं निरस्तनीय है। अपीलांट को दिनांक 29.12.2012 को रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 ने आराजी जैर अपील में अपीलांट का कोई हक, हकूक नहीं होना जाहिर किया एवं जमीन को विक्रय किये जाने बाबत कथन किया तब अपीलांट ने अपने पुत्र से दिनांक 03.01.2013 को पटवारी हल्का से वादग्रस्त भूमि के रिकॉर्ड की नकल प्राप्त की जिसके पश्चात अपीलांट को छीतर व हरिनारायण द्वारा की गयी फर्जकारी का ज्ञान हुआ। जिसके पश्चात अपीलांट ने अविलम्ब माननीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की है। अपीलांट जो कि रामसहाय की जायन्दा पुत्री है एवं अपीलांट का अपनी पैतृक भूमि में हक अधिकार निहित है तथा अपीलांट के हक अधिकार को अपीलाधीन नामान्तकरण के जरिये समाप्त नहीं किया जा सकता है। अतः अपील अपीलांट अन्दर मियाद स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 1902 तस्दीक दिनांक 21.12.2004 निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 6 ने लिखित बहस में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा झूठे एवं गलत तथ्यो के आधार पर अपील पेश की है।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

अपीलांट द्वारा अपीलाधीन द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण की नकल दिनाकि 13.04.2005 को प्राप्त कर ली गयी थी एवं करीब 7 वर्ष बाद अपीलांट द्वारा अपील पेश की गयी है इसलिए अपीलांट द्वारा मियाद के बिन्दु पर वर्णित तथ्य गलत एवं असत्य है। मियाद अधिनियम के अनुसार विलम्ब को माफ जब ही किया जा सकता है जब एक एक दिन की हुई देरी के लिये कोई पर्याप्त कारण रहा हो। तहसीलदार बस्सी द्वारा जांच किये जाने के पश्चात अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। उक्त कृषि भूमि के 1/4 हिस्से के सहकृषक श्री छीतर ने अपने सम्पूर्ण अधिकार अपनी एकमात्र पुत्री कमला रेस्पाडेन्ट संख्या 6 के पक्ष में हकत्याग पत्र दिनांक 19.01.2011 को तहरीर करा दिया था। उक्त पंजीकृत हक त्याग के आधार पर नामान्तकरण संख्या 465 ग्राम पंचायत बस्सी ने दिनांक 20.10.2011 को रेस्पाडेन्ट संख्या 6 के नाम तस्दीक कर दिया एवं राजस्व भू अभिलेखो में रेस्पाडेन्ट संख्या 6 का नाम इन्द्राज हो गये। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 के पिता व पति हरिनारायण का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात उक्त वर्णित कृषि भूमि का विरासत नामान्तकरण संख्या 2580 रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 के नाम ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक कर दिया गया और उसके अनुसार राजस्व भूमि अभिलेखों में रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 का नाम भी इन्द्राज हो गया। अपीलांट कभी भी उक्त वर्णित भूमि की खातेदार काश्तकार नहीं रही है इसलिए अपीलाधीन भूमि में अपीलांट क्लेम नहीं कर सकती है। अपीलांट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी में प्रस्तुत नियमित वाद बउनवानी रूकमणी बनाम शान्ति दिनांक 02.04.2025 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो चुका है तथा अपीलांट का यदि हक अधिकार निहित है तो वो नियमित वाद में तय किया जा सकता है। सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजि0 बस्सी में अपीलांट का वाद दिनांक 18.06.2018 को खारिज हो चुका है। हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि यदि किसी पुत्री के पिता का स्वर्गवास सितम्बर 2005 से पूर्व हो गया है तो वह कॉपासनरी (पिता की विरासत) में कोई हिस्सा प्राप्त करने की काननून हकदार नहीं है तथा पूर्व में दर्ज स्वामित्व विरासती इन्द्राज यथावत रहेंगें। अपीलांट द्वारा द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर भी पोषणीय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण तस्दीक किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। अपील अपीलांट खारिज की जावे। रेस्पाडेन्ट द्वारा अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत कानी देवी व अन्य बनाम रमेश एच.सी.2013(2), आरएलडब्लयू 1096 राज0, एच.सी. 2012(2) डीएनजे राजस्थान 1082, एच.सी.2012 डब्ल्यूएलसी राजस्थान यूसी 302, एस. सी. 2015 डीएनजे 1088, माधोसिंह बनाम श्रीमती कामा कंवर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आरबीजे (5) 1998 आदि पेश किये।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण विरासत के आधार पर तस्दीक किया गया है जिसमें कोई त्रुटि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गयी है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

विद्वान उपस्थित अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो अनुसार अपीलांट को अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी दिनांक 29.12.2012 को होना जाहिर किया है जिसके प्रत्युत्तर में रेस्पाडेन्ट द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट के पुत्र द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण की नकल दिनांक 13.04.2005 को प्राप्त कर ली गयी थी इसलिए अपीलांट के मियाद में वर्णित तथ्य गलत है। न्यायहित में प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत को ध्यान मे रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट अन्दर मियाद मानी जाती है। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं अपीलाधीन नामान्तकरण के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1902 पटवारी हल्का द्वारा मुताबिक सजरा, विरासत अनुसार भरा गया जिसके आधार पर तहसीलदार बस्सी द्वारा दिनांक 21.12.2004 को नामान्तकरण संख्या 1902 रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 5 के पिता एवं पति, रेस्पाडेन्ट संख्या 6 के पिता, रेस्पाडेन्ट संख्या 7 के हक में स्वीकार किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का मुख्य कथन है कि अपीलाधीन भूमि अपीलांट की पैतृक आराजीयात है। अपीलांट द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत दूधली द्वारा जारी पत्र पेश किया गया है इसके अतिरिक्त अपीलांट द्वारा अपने कथनो के समर्थन में कोई सुसंगत दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जिससे ये जाहिर हो कि अपीलांट स्व0 भौरीलाल की पौत्री है एवं स्व. रामसहाय की पुत्री है। न्यायालय हाजा का श्रवण क्षेत्राधिकार नामान्तकरण के बिन्दु पर है एवं न्यायालय हाजा को किसी के हक, हकूक, खातेदारी अधिकार को तय किये जाने बाबत क्षेत्राधिकार प्रदत्त नहीं है। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिसकल प्रोसीडिंग्स है जिसमें हक अधिकार संबंधी बिन्दु को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलांट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी में वाद प्रस्तुत किये गय। न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी द्वारा अपीलांट का वाद बउनवानी रूकमणी बनाम गेन्दी देवी आदेश दिनांक 18.06.2018 से खारिज किया गया एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी के आदेश दिनांक 02.04.2025 द्वारा अपीलांट का वाद बउनवानी रूकमणी बनाम शान्ति अदम हाजरी में खारिज किया गया। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया जिससे जाहिर हो कि अपीलांट द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी द्वारा खारिज किये वाद के विरूद्ध अपील पेश की गयी हो। अपीलांट के यदि पैतृक आराजीयात के आधार पर अपीलाधीन

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

भूमि पर किसी प्रकार के हक, अधिकार निहित है तो वे सक्षम स्तर पर चाराजोई करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक होने के पश्चात है स्व0 छीतर मल द्वारा निष्पादित हक त्याग पत्र के आधार पर नामान्तकरण संख्या 465 दिनांक 20.10.2011 को तस्दीक किया गया एवं स्व0 रामस्वरूप की विरासत का नामान्तकरण संख्या 2580 तस्दीक किये गया है एवं वर्तमान जमाबंदी अनुसार अपीलाधीन भूमि की खातेदारी रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 8 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। न्याय की यह कभी मंशा नहीं रही है कि किसी भी पक्षकार को उसके जायज हितो से वंचित किया जावे, परन्तु जहां पक्षकार स्वयं अपने हितों के प्रति जागरूक नहीं हो वहां विधि की एक समय सीमा तक ही उसके अधिकारो की सुरक्षा कर सकती है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन नामान्तकरण विरासत के आधार पर तस्दीक किया गया है तथा अपीलांट द्वारा अपीलाधीन भूमि में अपने पैतृक अधिकार निहित होने बाबत कोई ठोस साक्ष्य/दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने या उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल नामान्तकरण लौटाया जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.06.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजीव द्विवेदी)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर